संख्या-22/2015/521/59-2-2015-32/(खा)/2009

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,

उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 07 जुलाई, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक 118/खा0ग्रा0बो0/गु0नि0प्र0/ 2015-16, दिनांक 24-06-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चिय योजना के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 8,80,000.00 (रू0 आठ लाख अस्सी हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त धनराशि रू0 5,00,000.00 (रू0 पाच लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि शिविर का आयोजन प्रदेश के ऐसे जनपदों/तहसीलों/ब्लाकों में किया जायेगा, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो/लाभार्थियों की जनसंख्या/आबादी 25 प्रतिशत से कम न हो।

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय का योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के व्यय का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उससे व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग होने की दशा में विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(9) स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही होगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होगें।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या - 83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष् 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय-27- अन्य सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या-22/2015/531(1)/59-2-2015 32(खा)/2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्तीय एवं लेखाधिकारी,, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण उ0प्र0शासन।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग1/नियोजन अनुभाग4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10- एन0आई0सी0योजना भवन,लखनऊ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।